**जामिया एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ एसोसिएशन**

प्रेस विज्ञप्ति 20 मार्च 2020

हम जामिया एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ एसोसिएशन (जेएएसए) के सदस्य, एक राष्ट्रीय दैनिक, इंडियन एक्सप्रेस में 17 मार्च 2020 को प्रकाशित लेख के जवाब में, प्रोफेसर रामकृष्ण रामास्वामी के उस पत्र की निंदा करते हैं जो उन्होंने भारत के माननीय राष्ट्रपति और जामिया मिल्लिया इस्लामिया के विज़िटर को लिखा था। यह पत्र बिना किसी छानबीन के, बेशर्मी के साथ जामिया मिल्लिया इस्लामिया की कुलपति प्रोफेसर नजमा अख्तर की नियुक्ति की वैधता पर सवाल उठाता है। इसके अलावा, यह पत्र भारत के माननीय राष्ट्रपति के निर्णय और विवेक के लिए भी एक गंभीर चुनौती है। साथ ही यह पत्र, प्रोफेसर रामकृष्ण रामास्वामी की आचार संहिता के बारे में प्रतिबद्धता पर भी सवाल उठाता है। वह स्वयं उस चयन समिति के सदस्यों में से एक थे जिन्होंने जेएमआई की कुलपति के रूप में प्रोफेसर नजमा अख्तर के नाम की सिफारिश की थी। अपना पद संभालने के फौरन बाद, प्रोफेसर नजमा अख्तर ने प्रशासन को सुव्यवस्थित किया, और प्रवेश प्रक्रिया, नए संकाय सदस्यों की नियुक्ति और मौजूदा संकाय सदस्यों और अन्य कर्मचारियों की पदोन्नति करने सहित हर चीज में पारदर्शिता लाई। उन्होंने कुछ महीनों के भीतर ही बड़ी संख्या में संकाय सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया को गति दी, जिससे विश्वविद्यालय में अकादमिक जीवन में सुधार हुआ। उनके नेतृत्व में विश्वविद्यालय ने विदेशी भाषाओं, अस्पताल प्रबंधन और धर्मशाला अध्ययन, डिजाइन और नवाचार और पर्यावरण विज्ञान के नए उभरते क्षेत्रों में चार विभागों की स्थापना के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए। उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर प्रस्तावों को आगे बढ़ाया और उन सभी को यूजीसी ने मंजूरी दे दी, जिसमें 28 प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर कई पद शामिल थे। इस तरह का नतीजा उनकी प्रेरक दृष्टि और नेतृत्व के बिना हासिल नहीं किया जा सकता था। थोड़े समय के भीतर, उन्होंने विश्वविद्यालय के छात्रों और संकाय सदस्यों के बीच भारी सद्भावना का माहौल बनाया है। यह हैरानी की बात नहीं है कि विश्वविद्यालय को चलाने में उनकी सफलता से असंतुष्ट तत्वों के एक बहुत छोटे समूह के बीच चिंता पैदा हो गई है। यह गुट वर्तमान प्रशासन को अपने निहित स्वार्थ की जड़ों पर प्रहार मानता है। यह समूह विश्वविद्यालय के भीतर और बाहर, जो कि विश्वविद्यालय के हित और विकास के लिए अयोग्य हैं, उन्हें जुटा कर परिसर में भयावह मुसीबतों पैदा करने की कोशिशें कर रहा है। प्रशासन निष्पक्ष और उचित तरीके से काम कर रहा है, किसी भी स्रोतों से हस्तक्षेप को बंद कर रहा है। वित्तीय और अन्य अनियमितताओं से मजबूती से निपटा जा रहा है। इसने प्रोफेसर रामकृष्ण रामास्वामी जैसे लोगों को निराश किया

है, जो चाहते थे कि प्रशासन उनके निहित स्वार्थों की सेवा करे। ये ताकतें विश्वविद्यालय को अस्थिर करने की पैरवी कर रही हैं। प्रोफेसर रामकृष्ण रामास्वामी 28 नवंबर, 2018 के बाद से सदस्य नहीं हैं।

जामिया मिल्लिया इस्लामिया कुलपति पद के लिए 107 आवेदन प्राप्त हुए थे। खोज / चयन समिति ने एक संक्षिप्त सूची तैयार की। प्रोफेसर नजमा अख्तर 13 शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों में से एक थीं। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के साथ व्यक्तिगत बातचीत के सत्र के बाद, खोज / चयन समिति ने तीन नामों वाली एक शॉर्टलिस्ट को आगे बढ़ाया। प्रोफेसर नजमा अख्तर का नाम तीन उम्मीदवारों में से एक था। खोज / चयन समिति ने इन नामों को भारत के राष्ट्रपति को भेज दिया। उनकी उत्कृष्ट शैक्षणिक और प्रशासनिक साख के आधार पर प्रोफेसर नजमा अख्तर को जामिया की कुलपति नियुक्त किया गया। माननीय राष्ट्रपति ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया की पहली महिला कुलपति के रूप में उन्हें नियुक्ति करके एक ऐतिहासिक निर्णय लिया।

यह उल्लेख करना ज़रूरी है कि प्रोफ़ेसर रामकृष्ण रामास्वामी स्वयं उस खोज समिति के सदस्य थे, जिसका गठन 2018 में कुलपति, जामिया मिल्लिया इस्लामिया की नियुक्ति के लिए किया गया था। ऐसे में जेएनयू के प्रोफेसर रामकृष्ण रामास्वामी का यह आरोप हास्यास्पद है कि कई मेधावी उम्मीदवारों को नजरअंदाज कर दिया गया था। वह खुद उन सदस्यों में से एक थे जिन्होंने कुलपति के रूप में नियुक्ति के लिए प्रोफेसर नजमा अख्तर के नाम की सिफारिश की थी।

प्रोफेसर रामास्वामी ने प्रो अख्तर की नियुक्ति की वैधता पर सवाल उठा कर भारत के माननीय राष्ट्रपति के निर्णय और विवेक को चुनौती दी है। इसके अलावा, जामिया मिल्लिया इस्लामिया की कार्यकारी परिषद के प्रतिनिधि होने के नाते उनका पत्र, जामिया की कार्यकारी परिषद द्वारा उन पर किए गए विश्वास के साथ भी धोखा है।
हम, जेएएसए के सदस्यों ने मांग की है कि जेएमआई की कार्यकारी परिषद को, प्रोफेसर रामकृष्ण रामास्वामी के इस धूर्ततापूर्ण पूर्वाग्रहपूर्ण कार्य की निंदा करने के लिए एक विशेष बैठक बुलानी चाहिए और जामिया मिल्लिया इस्लामिया की ओर से उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने का प्रस्ताव पारित करना चाहिए। इस प्रस्ताव की कॉपी को विज़िटर के ध्यानार्थ भी प्रेषित करना चाहिए जिससे  कि वह प्रोफेसर रामकृष्ण रामास्वामी के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करें।

(नसीम अहमद)
महासचिव
जामिया प्रशासनिक कर्मचारी संघ